भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2327
गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

दिल्ली विमानपत्तन पर छत गिरने की घटना

2327. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या 28 जून, 2024 को अत्यधिक वर्षा के कारण नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई रिपोर्टों/जांच का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि भविष्य में देश के किसी भी विमानपत्तन पर ऐसी घटना न घटित हों;
(घ) पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए किसी प्रकार के मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) भारी बारिश के कारण, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली के टर्मिनल 1डी पर फोरकोर्ट कैनोपी ढह गई जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और नौ लोगों को चोटें आईं।

(ख) मंत्रालय ने इस घटना का आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के संरचना अभियंताओं की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है और आईआईटी दिल्ली द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक वर्ष मानसून के शुरू होने से पहले छत की शीटिंग संरचना की विशिष्टताओं और कारीगरी सहित भवन के सभी सिविल, वैद्युत और तकनीकी पहलुओं का गहन मूल्यांकन करें। इसके अलावा, सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को निर्देश दिए गए थे कि वे हवाईअड्डा भवन और संबंधित अवसंरचनाओं की संरचनात्मक स्थिरता

का आईआईटी, एनआईटी, सीबीआरआई, ईआईएल आदि जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान/निकाय के माध्यम से थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं।

(घ) डॉयल द्वारा मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल व्यक्ति को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है।

(ङ) दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डॉयल), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और डॉयल के बीच हस्ताक्षरित प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौता (ओएमडीए) द्वारा अधिशासित है, जिसके तहत प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्त, प्रबंधन और हवाईअड्डे को अच्छी मरम्मत और परिचालन स्थिति में रखने का कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात डॉयल को सौंपा गया है। डॉयल ने आईआईटी दिल्ली की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर इनपुट प्रस्तुत किए हैं। डॉयल के उत्तर की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

******